

Ref/UTCL/DLCW-FC/23-2022

Date: 17-08-2022

सेवा में,

प्रभागीय वनाधिकारी, ओबरा वन प्रभाग, ओबरा—सोनभद्र।

विषय:--

जनपद—सोनभद्र के ओबरा वन प्रभाग में में० अल्ट्राटेक सीमेन्ट लि०, डाला सोनभद्र द्वारा कजरहट (डाला) लाईम स्टोन माइन्स के अन्तर्गत 294.082हे० आरक्षित वनभूमि एवं भलुआ लाईम स्टोन माइन्स के अन्तर्गत 50.606हे० आरक्षित वनभूमि अर्थात कुल 344.688 हे० आरक्षित वनभूमि पर खनन कार्य हेतु वन संरक्षण अधिनियम 1980 के अन्तर्गत 10 वर्षों के लीज पर हस्तान्तरित किये जाने एवं बाधक 16534 वृक्षों के पातन की अनुमति के संबंध में। प्रस्ताव संख्या—एफपी/ यूपी/माईन/47074/2020.

संदर्भ:--

भारत सरकार, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली के पत्र संख्या—8—26/2021—एफ0सी0 दिनांक—01.11.2021 तथा आपके कार्यालय के पत्रांक—2143/ओबरा/15 भू०ह0 दिनांक—16.11.2021.

महोदय,

आपके उपरोक्त सन्दर्भित पत्र के कम में भारत सरकार, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली के पत्र संख्या—8— 26/2021—एफ0सी0 दिनांक—01.11.2021 द्वारा लगायी गयी आपत्तियों का बिन्दुवार निराकरण निम्नानुसार है—

0ंम0क	बिन्दु	आख्या
	Total mining lease area calculated through KML file is 1424.976 ha (Kajrahat Mine 782.008 ha + Bhalua Mine 642.968 ha = 1424.976 ha) whereas as per the mining plan, the total mining lease area is 1394.433 ha and as per the component wise breakup furnished in Part-I form on PARIVESH, the total area needs to be	इस बिन्दु के कम में अवगत कराना है कि विषयव प्रस्ताव तत्समय में भलुआ माईन्स का कुल 643.433हे। क्षेत्र उ०प्र० खनिज विकास निगम के पक्ष में तथ कजरहट माईन्स का कुल 751.00हे0 क्षेत्र उ०प्र० राज्य



Ultra Tech Cement Limited
Unit: Dalla Cement Works

Authorised Signatory



	rechecked.	के0एम0एल0 परिवेश पोर्टल पर अपलोड कर दिया गया है।
2	Some area in the Kajrahat mining lease is within the ESZ of Kaimur wildlife sanctuary. It has been mentioned that the Forest area within the ESZ is not included in the diversion. However, the detail of the non-forest land within the ESZ and its proposed landuse is required to be provided.	इस बिन्दु के कम में अवगत कराना है कि भलुआ एवं कजरहट माईन्स से आच्छादित कुल 1394.433हे0 क्षेत्र में से प्रभावित होने वाली कुल वन भूमि 431.241हे0 में से कैमूर वन्य जीव विहार के इको सेन्सिटिव जोन से
3	High resolution satellite imagery shows the presence of mined out pits within the forest patches of Kajrahat lease boundary and some built-up areas like settlements within the forest patches of Bhalua lease boundary. The status of violation of FCA,1980 in the proposed area is required to be confirmed.	इस बिन्दु के सम्बन्ध में आख्या/सूचना प्रस्तावक विभाग द्वारा वांछित नहीं है।
4	The site inspection report of CCF Mirzapur refers that the forest land involved in the instant proposal was declared as non-forest land by the State Govt. and the same was later redesignated as Reserved Forest after the intervention of Hon'ble Court/NGT. A detailed report in this regard keeping in view the violation of Forest (Conservation) ACT 1980 may be submitted.	इस बिन्दु के सम्बन्ध में आख्या/सूचना प्रस्तावक विभाग द्वारा वांछित नहीं है।

2





UltraTech Cement Limited



5	The instant mining project is at a distance of 573 meters from the Kaimur wildlife sanctuary. Moreover, some of its part is also falling inside the ESZ. The comments from Chief Wildlife Warden shall therefore be submitted.	इस बिन्दु के सम्बन्ध में आख्या/सूचना प्रस्तावक विभाग द्वारा वांछित नहीं है।
6	Out of 29 patches proposed for CA under Mirzapur district, 13 patches for CA are found isolated and having area lease than 5 ha. The small patches of less than 5 ha cannot be accepted for Compensatory Afforestation. The CA areas may therefore be revised accordingly.	इस बिन्दु के कम में अवगत कराना है कि मीरजापुर जिले के कैमूर वन्य जीव प्रभाग के अन्तर्गत 29 पैच में कुल 108.951हे0 क्षेत्र गैर वन भूमि प्रस्तावित किया गया था, जिसमें से कुल 21.901हे0 क्षेत्र छोटे—छोटे 13 पैचो में अलग—थलग तथा 5.00हे0 से कम है। उक्त 21.901हे0 क्षेत्र के सापेक्ष मीरजापुर वन प्रभाग के अन्तर्गत ग्राम—रैकरा में 15.928हे0 तथा कैमूर वन्य जीव प्रभाग मीरजापुर के अन्तर्गत ग्राम बड़ौहा में 8.00हे0 कुल 23.928हे0 गैर वन भूमि चयनित किया गया है। चयनित क्षेत्र का के0एम0एल0 फाईल, उपयुक्तता प्रमाण पत्र, क्षतिपूरक वनीकरण कर प्राक्कलन, जियोरिफरेन्सड मैप व टोपोशीट परिवेश पोर्टल पर अपलोड कर दिया गया है। उक्त क्षेत्र के सम्बन्ध में सम्बन्धित प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा उपयुक्तता प्रमाण पत्र, क्षतिपूरक वनीकरण कर प्राक्कलन, जियोरिफरेन्सड मैप व टोपोशीट सत्यापित कर प्रेषित किया गया है। छायाप्रति संलग्न है, संलग्नक—1
7	The CA patch namely Sindhora village, Plot No 1007 under Mirzapur District comprising an area of 39.83 ha appears to be under non-forestry use. The same needs clarification.	इस बिन्दु के कम में अवगत कराना है कि मीरजापुर जिले के मीरजापुर वन प्रभाग के ग्राम—सिन्धोरा में गाटा संख्या 1007 क्षेत्रफल 39.911हे0 क्षेत्र गैर वन भूमि के रुप में चयनित किया गया है। उक्त चयनित क्षेत्र का पुनः स्थलीय निरीक्षण करनें पर प्रकाश में आया कि 9.800हे0 क्षेत्र में कशर प्लान्ट स्थापित है। जिसके सापेक्ष 9.800हे0 क्षेत्र उन्नाव जिले के उन्नाव वन प्रभाग के अन्तर्गत ग्राम—सकरन में 10.570हे0 (9.800हे0+0.770हे0) गैर वन भूमि चयनित किया गया है। चयनित क्षेत्र का के0एम0एल0 फाईल, उपयुक्तता

3







		प्रमाण पत्र, क्षतिपूरक वनीकरण कर प्राक्कलन, जियोरिफरेन्सड मैप व टोपोशीट परिवेश पोर्टल पर अपलोड कर दिया गया है। उक्त क्षेत्र के सम्बन्ध में सम्बन्धित प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा उपयुक्तता प्रमाण पत्र, क्षतिपूरक वनीकरण कर प्राक्कलन, जियोरिफरेन्सड मैप व टोपोशीट सत्यापित कर प्रेषित किया गया है। छायाप्रति संलग्न है, संलग्नक–2
8	Some settlements are visible inside the proposed CA patch under village Purakashinath plot No 235 located in Mirzapur district comprising an area of 16.01 ha. The same needs clarification.	इस बिन्दु के कम में अवगत कराना है कि मीरजापुर जिले के मीरजापुर वन प्रभाग के ग्राम—पुराकाशीनाथ में गाटा संख्या 235 क्षेत्रफल 16.046हे0 क्षेत्र गैर वन भूमि के रुप में चयनित किया गया है। उक्त चयनित क्षेत्र का पुनः स्थलीय निरीक्षण करनें पर प्रकाश में आया कि 0.770हे0 क्षेत्र में कुछ झोपडी का निर्माण हुआ पाया गया। जिसके सापेक्ष उन्नाव जिले के उन्नाव वन प्रभाग के अन्तर्गत ग्राम—सकरन में चयनित 10.570हे0 (9.800हे0+0.770हे0) गैर वन भूमि में 0.770हे0 क्षेत्र सम्मिलित है।
9	State Govt. has informed that out of 344.688 ha. Non-forest land for CA, 120.544 ha non-forest land was found un-suitable for carrying out plantation work. The State Govt. shall provide the list of CA patches in non-forest land under Mirzapur district which are found un-suitable for carrying out plantation work and the reasons thereof.	इस बिन्दु के कम में अवगत कराना है कि परियोजना से आच्छादित कुल 344.688हें वन भूमि के सापेक्ष मीरजापुर वन प्रभाग में उपलब्ध करायी गयी कुल 235. 737हें गैर वन भूमि में से 191.218हें तथा कैमूर वन्य जीव प्रभाग मीरजापुर में उपलब्ध करायी गयी कुल 108.951हें में से 32.926हें कुल 224.144हें क्षेत्र क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु उपयुक्त पायी गयी। शेष 120. 544हें क्षेत्र क्षतिपूरक वनीकरण हेतु अनुपयुक्त पायी गयी। भारत सरकार की गाईड लाईन के कम में "Tree for tree and land for land" के अनुसार वृक्षारोपण हेतु अनुपयुक्त गैर वन भूमि के स्थान पर अतिरिक्त सी०ए० वृक्षारोपण हेतु ओबरा वन प्रभाग के अन्तर्गत 121हें अवनत वन भूमि चयनित कर उपलब्ध कराया जाना है।

4



Ultra Tech Cement Limited
Unit: Dalla Cement Works

Authorised Signatory



It has been mentioned that the mining lease issued in the year 19/6 on 380.635 ha forest land in Dala (Kajarhat) Limestone Mines (which expired in the year 1996) has not been renewed after the year 1966. Similarly, the mining lease of Bhalua Limestone Mines was issued in the year 1982 (which expired in the year 2002) on 50.606 ha forest land has not been renewed after the year 2002. The status of violation in this area is required to be confirmed.

इस बिन्दु के कम में अवगत कराना है कि उ०प्र० शासन के पत्र दिनांक—24.10.1973 के कम में वर्ष 1976 में ग्राम—कोटा व पड़रछ (डाला (कजरहट) लाईम स्टोन माईन्स से सम्बन्धित) में कुल 751 है0 क्षेत्र का उ०प्र० राज्य सीमेन्ट निगम लि0, के पक्ष में 20 वर्ष हेतु लाईम स्टोन का खनन पट्टा स्वीकृत किया गया। वर्ष 1996 में खनन पट्टे की अवधि समाप्त हो गयी। तत्पश्चात उ०प्र० राज्य सीमेन्ट निगम लि0 द्वारा लीज नवीनीकरण का प्रस्ताव उ०प्र० शासन को प्रेषित किया गया।

इसी प्रकार वर्ष 1982 में ग्राम-कोटा व बिल्ली मारकृण्डी (भलुआ लाईम स्टोन से सम्बन्धित) में कुल 643.433 हे0 क्षेत्र में उ०प्र० राज्य खनिज विकास निगम लि0 के पक्ष में 20 वर्ष हेत लाईम स्टोन का खनन पट्टा स्वीकृत किया गया। वर्ष 2002 में खनन पट्टे की अवधि समाप्त हो गयी। तत्पश्चात उ०प्र० राज्य खनिज विकास निगम लि0 द्वारा लीज नवीनीकरण का प्रस्ताव उ०प्र० शासन को प्रेषित किया गया। इसी दौरान उत्तर प्रदेश राज्य सीमेन्ट कारपोरेशन, डाला की फैक्ट्री के लगातार घाटे में चलने के कारण उसे Sick Industries घोषित किया गया तथा मा० उच्च न्यायालय के देख रेख में उक्त फैक्ट्री को Wound Up कर लिक्विडेट किये जाने का निर्णय लिया गया। जिसमें उत्तर प्रदेश राज्य सीमेन्ट कारपोरेशन, डाला की परिसम्पत्तियों को में0 जे0पी0 एसोसिएट्स लि0 को हस्तान्तरित कर दिया गया।

उ०प्र० शासन के पत्र दिनांक—07.11.2007 द्वारा भलुआ माईन्स तथा पत्र दिनांक— 12.12.2007 द्वारा कजरहट माईन्स के कुल क्षेत्रफल में से वन भूमि से आच्छादित क्षेत्र को छोड़कर शेष क्षेत्र में० जे०पी० एसोसिएट्स लि० के पक्ष में इस शर्त पर हस्तान्तरित किया गया कि वन भूमि से आच्छादित क्षेत्र के पट्टे का नवीनीकरण /हस्तान्तरण पर में० जे०पी० एसोसिएट्स लि० द्वारा भारत सरकार के उक्त वन भूमि के हस्तान्तरण प्रस्ताव पर स्वीकृति प्राप्त हो जाने के




5





	8	उपरान्त विचार किया जायेगा। उ०प्र० शासन के पत्र दिनांक—20.06.2017 को में० जे०पी० एसोसिएट्स लि० के परिसम्पत्तियों को में० अल्ट्राटेक सीमेन्ट लि० को हस्तान्तिरत किया गया। तत्पश्चात कजरहट एवं भलुआ माईन्स के अन्तर्गत वन भूमि से आच्छादित कुल 344.688हे० क्षेत्र में खनन कार्य करनें हेतु अनुमित का प्रस्ताव प्रेषित किया गया है। प्रस्तावित क्षेत्र में से कुल 26.579हे० क्षेत्र में गैर वानिकी कार्य हुआ है। जो पूर्व में उ०प्र० सीमेन्ट कारपोरेशन लि० के पक्ष में स्वीकृति लीज (वर्ष 1976 से 1996) अविध में किया गया है। में० अल्ट्राटेक सीमेन्ट लि० द्वारा कोई गैर वानिकी कार्य नहीं किया गया है और न ही वन संरक्षण अधिनियम 1980 का उल्लंघन किया गया है।
11	The Site suitability certificate for 235.737 ha non-forest land located in Mirzapur District has not been submitted which is required to be done. The CA schemes/maps/site suitability certificates are also required to be submitted in case of CA areas to be revised.	इस बिन्दु के कम में मीरजापुर वन प्रभाग के अन्तर्गत चयनित 235.737हे० गैर वन भूमि की उपयुक्तता प्रमाण पत्र संलग्न है, संलग्नक—3।
12	The recommendation of the DFO, Obra Forest Division, Mirzapur Circle is not available on Parivesh Therefore, the same shall be uploaded in Part-II form of Parivesh	इस बिन्दु के सम्बन्ध में आख्या/सूचना प्रस्तावक विभाग द्वारा वांछित नहीं है।
_13	There is a gap between the polygon of the forest area proposed for diversion within the mining lease boundary and the forest patch for which Stage-I approval has been issued for setting up of JP Super Cement plant vide this Ministry letter no 8- 07/2019-FC dated 15.04.2021. The boundary the	इस बिन्दु के कम में अवगत कराना है कि प्रश्नगत परियोजना से आच्छादित 344.688हे0 क्षेत्र एवं जे0पी0 एसोसिएट्स लि0 द्वारा ग्राम—कोटा में जे0पी0 सुपर सीमेन्ट प्लान्ट एवं आवासीय परिसर स्थापित किये जाने हेतु 115.874हे0 क्षेत्र के बीच रिक्त स्थान है। जो कि पहाड़ के चोटी पर है, उक्त क्षेत्र में0 अल्ट्राटेक सीमेन्ट लि0 से सम्बन्धित नहीं है तथा अल्ट्राटेक सीमेन्ट लि0 द्वारा उक्त क्षेत्र में कोई कार्य प्रस्तावित







	forest patches of two different proposals may be re-verified through ground truthing.	नहीं है।
14		इस बिन्दु के कम में अवगत कराना है कि दिनांक 28. 08.2007 में में 0 जेंoपीं एसोसिएट्स लिंo के नाम से 751हेंo क्षेत्र का स्वीकृत खनन योजना संलग्न है। तत्पश्चात एनoसीoएलoटींo के आदेश दिनांक—02.03. 2017 तथा उ०प्र० सरकार के आदेश दिनांक—20.06. 2017 के अनुसार सभी खनन पट्टे और उनकी अनुमति अल्ट्राटेक सीमेन्ट लिंo के नाम कर दिया गया। स्वीकृत माईनिंग प्लान की प्रति संलग्न है। संलग्नक—4।

अतः भारत सरकार, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली के पत्र संख्या—8—26/2021—एफ0सी0 दिनांक—01.11.2021 द्वारा लगायी गयी आपत्ति का उपरोक्तानुसार निराकरण करते हुए सूचना/अभिलेख की पांच—पांच प्रतियां संलग्न कर आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित। धन्यवाद

वास्ते अल्ट्राटेक सीमेन्ट लिमिटेड,

डाला सीमेन्ट वर्कस

अनिल बजाज

(सी०ओ०ओ० एण्ड क्लस्टर हेड)

7

